FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

24/16

सरकार जरिये I.D.R. जायल बनाम पतासी देवी W/o मोहन राम जाट निवासी जायल

की किस्म

की संख्या U/S 136 RLR Act 1956 वर्ष 24/10/2016

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
2/11/16	प्रार्थी तहसीलदार जायल ने प्रार्थना पत्र तरमीम खारिज करवाने व रेकर्ड दुरुस्ती का U/S 136 RLR Act के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर। मिसल दिनांक 16/11/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	
16/11/16	राज पत्रकार 340। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने under taking देकर वकालत नामा व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर मिसल दिनांक 16/1/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	undertaking अप्रार्थी देवे। (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

फर्द अहकाम
(नियम–26)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

सरकार बनाम पतासी

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 96/2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज
23.05. 2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट जायल में पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी के द्वारा सशोंधित प्रार्थना पत्र का जबाब अवसर देने के उपरान्त भी पेश नहीं किया है इसलिये अप्रार्थी का जबाब बंद किया जाता है। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रंमाक एफ12(17) राजस्व/2016 /1013–21 दिनांक 11.03.2016 के जरिये जायल के खसरा नं 2774 रकबा 1065 बीघा किस्म गैर मुमकीन मंगरा में 300 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व (आद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1956 की धारा 92 के तहत नवीन ओद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रीको के पक्ष में आरक्षित की गई। जिला कलक्टर नागौर के आदेश की पालना में आरक्षित भूमि की जगह मौजा जायल के ख नं 2774/10 रकबा 20 बीघा का गलत तरमीम पटवारी हल्का जायल द्वारा कर दिया गया। जिसको शुद्व करने के लिये तहसीलदार जायल ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। अप्रार्थी के द्वारा जबाब नहीं देने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **–:: आदेश ::–** मौजा जायल के आराजी खसरा नम्बर 2774 रकबा 1065 बीघा किस्म गैर मुमकीन मंगरा में से नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु इण्डस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (रीको) के पक्ष में 300 बीघा भूमि कार्यालय जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रंमाक एफ12(17)राजस्व/2016/1013 दिनांक 11.03.2016 से आरक्षित की गई थी। उक्त आरक्षित किये जाने हेतु जो प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे उनमें प्रस्तावित रकबा का नक्शा जो प्रेषित किया गया था उसमें पहले से अन्य किसी की तरमीम नही थी। रीको के लिये भूमि आरक्षित कर दिये जाने के पश्चात् इसके लिये प्रस्तावित भूमि में अन्य खातेदार (अप्रार्थी) की तरमीम बाद में की गई है जो गलत (अशुद्व) होने से खारिज की जाती है जिसे नक्शे में ABCD से दर्शाया गया है तथा रीको के लिये प्रस्तावित क्षेत्र जो आरक्षित कर दिया गया है की परीसीमा से बाहर मुताबिक तहसीलदार जायल प्रेषित नक्शा ट्रेस के EFGH पर अप्रार्थी की आराजी की तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार जायल के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी जायल उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

लोक अदालत शिविर

Scanned by CamScanner